

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एल-100/2024-

/स्वा०,

पटना, दिनांक

/

/2025

स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक-503(3), दिनांक-10.09.2024 द्वारा दिये गये अनुमति, महालेखाकार, बिहार के ज्ञापांक-LR 110620240200324 LR No. 0162/2024-2025 द्वारा प्रदत्त अवकाश आदेयता प्रतिवेदन एवं बिहार सेवा संहिता के नियम 230 के आलोक में डा० (श्रीमती) अलका प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय औषधालय-सह-उपचार गृह, नया सचिवालय, पटना द्वारा विदेश यात्रा (इंग्लैंड) हेतु दिनांक-16.09.2024 से 26.09.2024 तक कुल-11 (ग्यारह) दिन उपभोगित अवकाश को उपार्जित अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

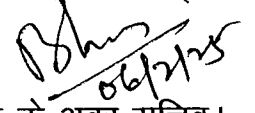
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-100/2024- 2024(2) पटना, दिनांक 10/02/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं हक०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि: असेनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुख्य सचिवालय, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० (श्रीमती) अलका प्रसाद, चिकित्सा पदाधिकारी, राजकीय औषधालय-सह-उपचार गृह, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जाई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।